

<p>भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2 , सी विंग, गांधीनगर ई -मेल: Gandhinagar.ibm@gmail.com</p>		<p>GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES Office of Regional Controller of Mines Karmayogi Bhavan, 4<sup>th</sup> Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat</p>
--	--	---

सं. गुज/जाम/बौक्स-02

पंजीकृत पत्र  
उल्लंघन पत्र  
दिनांक :11.12.18

सेवा में : मेसर्स बॉम्बे मिनरल लिमिटेड  
जामनगर-द्वारका हाइवे  
जिला – देवभूमि द्वारका,  
खम्बालिया-361 305 (गुजरात)

विषय: गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिला में स्थित आपकी असोटा-मेवासा बाक्साइट खान, सर्वे नंबर-Variou, क्षेत्रफल 682.3892 हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन| (*Mine Code-07GUJ07002*)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 23/10/2018 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया |

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 33	<p><b><i>The holder of a mining lease shall, on or before the 30th day of June every year submit a digital copy along with print copy of the Surface Geological plans and Sections maintained under Rule 32 of MCDR,2017</i></b></p> <p>In your case, you have not submitted the aforesaid plans &amp; sections maintained under the Rule 32 of MCDR, 2017 to this office.</p>
Rule 46	<p><b><i>The holder of the prospecting licence or prospecting licence cum mining lease or mining lease shall intimate when any new appointment of an agent, mining engineer, geologist or any other person is made under sub-rule(1) of rule 55</i></b></p> <p>In your case it is noticed that, Shri Narayan Shukla appointed as Geologist but intimated regarding his appointed not sent to Regional Controller of Mines.</p>
Rule 54(a)	<p><b><i>The holder of the mining lease or a holder of prospecting license or prospecting cum mining lease shall maintain details of contribution made to District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust</i></b></p> <p>But, in your case, you have not maintained relevant documents as required under prescribed rules.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है की उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है |

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे

भवदीय,

(संजय गिरहे)  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

**प्रति सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-**

1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।
2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.)
3. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो